RESEARCH FRONT

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

याज्ञवल्क्यस्मृति–मिताक्षरा के अनुसार 'स्त्रीधन' संदर्भ में विचारविमर्श

डॉ. सौ. मोटे पौर्णिमा चंद्रकांत
संस्कृत विभाग,
छत्रपति शिवाजी कॉलेज, सातारा

सारांश :

याज्ञवल्क्यस्मृति के अंतर्गत 'व्यवहाराध्याय' में 'दायविभाग' यह एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण है। याज्ञवल्क्य ने स्त्रियों के आर्थिक स्थिति के संदर्भ में स्त्रीधनविषयक विचार प्रस्तुत किये हैं। याज्ञवल्क्यस्मृतिग्रंथ का अध्ययन कर विज्ञानेश्वर ने 11 वी शती में 'मिताक्षरा' टीका लिखी है। आधुनिक काल के अधिकतर हिंदू कानून 'मिताक्षरा' के नियमों का आधार लेकर बनाए गए है। समयानुरूप कानून में बदलाव हो रहे है। फिर भी वर्तमान समय के कानून के बीज, इन नियमों में आज भी मिलते हैं। 'मिताक्षरा' का यह महत्त्वपूर्ण अलगपन है।

इस पृष्ठभूमि के आधार पर याज्ञवल्क्यस्मृति (ई.स.पू. पहली शताब्दी और इ.स. तीनसौ के दरमियान) ग्रंथ को केंद्र में रखकर स्त्रीधन और अधिकार आदि कानूनों की प्रासंगिकता बताना एवं उनका विवेचन करना, यह मेरे प्रस्तुत शोधालेख का उद्देश्य हैं।

प्रस्तावना :

किसी विषिश्ट समाज की जडे पुख्ता होने हेतु उस समाज की न्यायव्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक मूल्यों का प्रतिबिंब उन कानूनों में प्रतिबिंबित होता है।

इ.स. पूर्व कई षताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने इस न्यायव्यवस्था का विवेचन सुसूत्रता से स्मृतिग्रंथों में किया प्रतीत होता है।

गौतम, आपस्तंभ, बौधायन, मनू, याज्ञवल्क्य आदि के विविध स्मृतिग्रंथ है। इन सभी ग्रंथों पर विद्वानों ने टीका लिखी है। इनकी संख्या देखते हुए, ग्रंथों की योग्यता का विचार किया जाय तो 'मनुस्मृति' के पष्चात 'याज्ञवल्क्यस्मृति' ग्रंथ श्रेश्ठ और प्रमाणभूत माना जाता है। इन ग्रंथोंपर विष्वरूप, श्रीकर, विज्ञानेष्वर आदि प्राचीन तथा अपरार्कादि अर्वाचीन विद्वानों ने टीका लिखी हुई है। करिबन इ. स. 1070 से 1100 इस कालखंड में सुप्रसिद्ध विज्ञानेश्वर ने 'मिताक्षरा' टीका लिखी जो सर्वसंमत है। बंगाल के अलावा भारत के अन्य प्रदेषों में कम – अधिक मात्रा में दीर्घकाल तक इस टीका का आधार लेकर कानूनी कारवाई की जाती थी। आज भी बहुतसे हिंदू कानून के बीज इसमें दिखाई देते हैं। इसकारण हमने 'मिताक्षरा' इस टीका का चुनाव षोधनिबंध लेखन के लिए किया है।

प्राचीन भारतीय समजाव्यवस्था संयुक्त कुटुंबपद्धति पर अवलंबित थी। स्त्री के पालन–पोशण का जिम्मा परिवार के प्रमुख पुरुश पर हुआ करता था। स्त्री के आर्थिक अधिकारों को लेकर कोई विचारविमर्ष नहीं होता था। आर्थिक अधिकारों से वह वंचित थी, इतना ही नहीं तो इस विशय को लेकर महिलाओं में कोई जागृती भी नहीं हुई थी। तब 'याज्ञवल्क्यस्मृति' ने 'स्त्रीधन' विशयक संकल्पना प्रस्तुत की । महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को लेकर उन्होंने चिंतन किया। परिणामतः महिलाओं के सामाजिक स्थैर्य की दृश्टि से किया हुआ विष्लेशण निष्चित ही प्रषंसनीय है।

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

'स्त्रीधन' संकल्पना का विचार करने पर उसमें समाविश्ट चीजें एवं प्रकार, अधिकार और विरासत ये तीनों मुद्दे बहुत ही महत्त्वपूर्ण दिखाई देते हैं। प्रस्तुत षोधालेख में हम प्रथम दो मुद्दोंपर विचार कर रहें है।

स्त्रीधन :

वैदिक साहित्य में ' स्त्रीधन' संकल्पना का विवेचन मिलता है। उस विवेचन के आधार पर प्राचीन काल में महिलाओं की ' अपनी संपत्ति' कौनसी है, इसकी जानकारी मिलती है। उसमें विवाह के समय दिए गए अलंकार तथा किमती वस्त्रों का समावेष हुआ है।

'स्त्रीधन' निष्चित तौर पर कितनी मात्रा में हो इसका विवेचन वैदिक साहित्य में कही भी नहीं मिलता।

भारतीय संस्कृतिकोष (खंड 10, पृं 200) में कहा गया है कि,'जिस संपत्ती पर किसी भी समय कम अधिक मात्रा में अनिर्बंध रूपसे अपना हक जताया जा सकता है वह स्त्रीधन कहलाता है।'

डॉ. म. म. काणेजी के मतानुसार 'स्त्रीधन' मतलब है,'किसी स्त्री की अपनी संपत्ती।'

दि हिंदू सक्सेशन ॲक्ट 1956 इस कानून ने मिताक्षरा के आधार पर स्त्रीधन की व्याख्या देते हुए कहा है – शैजतपकींद उमंदे ूवउंदशे चतवचमतजलण प्द जीम मदजपतम ीपेजवतल वि भ्पदकन सूंए ूवउंदशे तपहीजे जव ीवसक ंदक कपेचवेम वि चतवचमतजल ीं इममद तमबवहदप्रमकण्श

स्त्रीधनमें समाविश्ट होनेवाली चीजें एवं प्रकार :

याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है

''पितृ–मातृ– पति– भ्रातृ– दत्तमध्यग्नुपागतम्।
अधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ।।
बन्धुदत्तं तथा षुल्कमन्वाधेयकमेव च ।।'' (या. स्मृ. 2.8.143/144)

इस संदर्भ में मिताक्षरा में कहा गया है –

माता, पिता, पति, भ्राता, मामा आदि ने विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर अधिवेदन के कारण प्राप्त, आदि (रिक्थ, क्रय, संविभाग, परिग्रह और अधिगम) से प्राप्त धन को स्त्रीधन कहा गया है। सारांषरूपसे, इतने प्रकारके धन को मन्वादिकोंने स्त्रीधन कहा है। यहां का 'स्त्रीधन' यह षब्द यौगिक है। पारिभाशिक नहीं है। मनूने भी (मनस्मृति 9. 194) 'स्त्रीधन' विशयक विचार–विमर्ष करते हुए छः प्रकार बताए है।

स्मृतिकार कात्यायन ने 'स्त्रीधन' विशयक विचारों को विस्तृतरूप में प्रस्तुत किया है और उन विचारों का निबंधकारों ने स्वीकार भी किया है।

कात्यायन ने कहा है ––

'विवाहकाले यत्स्त्रीभ्योदीयते ह्यग्निसन्निधौ।
तदध्यग्निकृतं सद्भिः स्त्रीधनं परिकीर्तितम्।।
यत्पुनर्लभते नारी नीयमाना पितृर्गृहात्।
अध्यावहनिकं नाम स्त्रीधनं तदुदाहृतम्।।
प्रीत्या दत्तं तु यत्किंचित् ष्वश्वा श्वषुरेण वा।
पादवन्दनिकं चैव प्रीतिदत्तं तदुच्यते।

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

ऊढया कन्यया वा अपि पत्युः पितृगृहे अपि वा ।

भ्रातुः सकाषत्पित्रोर्वा लब्धं सौदायिंक स्मृतम्।।'

इसका मतलब है, विवाह के समय अग्नि को साक्षी रखकर स्त्री को जो भी धन दिया जाता है, उसे 'अध्यग्निकृत' कहा जाता है। मायके से ससुराल जाते हुए जो धन दिया जाता है, उसे ' अध्यावहनिक' स्त्रीधन कहाजाता है। सास तथा ससूर के द्वारा प्रेमपूर्वक या पादवंदनकरते समय जो धन दिया जाता है, उसे 'प्रीतिदत्त' कहा जाता है। विवाहित बेटी को पतिद्वारा अथवा पिता के घरमाता–पिता द्वारा जिस धन की प्राप्ति होती है, उसे 'सौदायिक' कहा जाता है।

इससे यह प्रतित होता है,'स्त्रीधन' का अर्थ स्त्री की अपनी संपत्ति। यह अर्थ होते हुए भी स्मृतिग्रंथोंने यह षब्द एक विषेश प्रंसग अथवा उसके आयु में विविध प्रसंगों के उपलक्ष्य में दिए गए विषेश संपत्ति को ही केवळ दिया गया है।

स्मृतिग्रंथों के उपर्युक्त विचारों के संदर्भ में डॉ. म. म. काणेजी कहते है ''स्त्रीधन एक पारिभाशिक संज्ञा है। उसमें प्रारंभ में केवल छः प्रकार के संपत्ति का अंतर्भाव हुआ था। लेकिन कात्यायन के व्याख्यानुसार उस संज्ञा में किसी एक स्त्री को अविवाहित अथवा विवाहित स्थिति में उसके माता–पिता, रिष्तेदारों, पति अथवा पतिके परिवार से प्राप्त अचल संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति का अंतर्भाव होने लगा। किन्तु किसी एक स्त्री को विवाह के उपरान्त उसके परिश्रम, कलाकौषल्य अथवा अन्य लोगों से प्राप्त संपत्ति स्त्रीधन नहीं माना गया है। स्मृतियोंने स्त्रीधन की पूर्णरूप से व्यापक व्याख्या न देकर विषिश्ट प्रकार के संपत्ति का केवल नाममात्र निर्देष किया है।''('धर्मषास्त्राचा इतिहास' सारांषरूप ग्रंथ पृ. 558)

डॉ. म. म. काणेजी का यह मत उचित लगता है।

सद्यःस्थिति में इसमें आमूलाग्र बदलाव आये है। आजके कानून ने नीचे दिए गए स्त्रोतों के रूप में स्त्रीधन की प्राप्ति बताई है।

- Gifts and bequests from relations.
- Gifts and bequests from non relations.
- Property acquired by self exertion, science and arts.
- Property purchased with the income of stridhan.
- Property purchased under a compromise.
- Property obtained by adverse possession.
- Property obtained in lieu of maintenance.
- Property received in inheritance.
- Property obtained on partition.

स्त्रीधन अधिकार :

याज्ञवल्क्यजीने स्त्रीधन का स्वरुप स्पश्ट करने के पष्चात विरासत संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किये है। (या. स्मृ. 2.8.145) 'स्त्रीधन' अधिकार इस विशय को लेकर विषेश रूप से विचार करना हमारा उद्देष्य है। पत्नी का स्त्रीधन पति उपयोग में ला सकता है। जब कोई समस्या आती है तो इस परिस्थिति में उस धन को लौटाने की जिम्मेदारी उस पर नहीं रहती। इस विशय पर विचार व्यक्त करते हुए याज्ञवल्क्य कहते है–

''दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके।

गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता न स्त्रियै दातुर्महाति।।'' (या.स्मृ.2.8.147)

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

सूखा, धार्मिक विधि, व्याधि, कैद, दंड आदि प्रसंग में अगर पति स्त्रीधन का इस्तेमाल करता है, तो उसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है।

इस बारे में मिताक्षरा में कहा गया है, 'सूखा पडने पर, परिवार के भरण–पोशण के लिए, कर्तव्य के रूप में किया जानेवाला धार्मिक विधि, पति किसी व्याधि से पीडित हो तो, उसे बंदी बनाया गया हो तो, और दंड दिया गया हो, तो जिसके पास अन्य कोई धन नहीं, उस पति ने स्त्री का धन खर्च किया तो उसे वापस लौटाने की आवष्यकता नहीं है। किसी अन्य पद्धति से वह उस धन को लौटा सकता है। जो स्त्री जीवित है, उसका स्त्रीधन उसके पति के अलावा और किसी भी दायाद न ले, क्योंकि वह धनहरण करनेवाले बांधवोंको राजा ने दंडित करना है, ऐसा मनुस्मृति में कहा है। (मनुस्मृति, 8.29) इस में यह भी कहा गया है, कि पति के जीवित रहते स्त्रीने धारण किया हुआ अलंकार बटवारे के समय बाटकर न लिया जाए, अगर लिया तो लेनेवाला पतीत बन जाता है। (मनुस्मृति 9.200)

समग्रतः इस विष्लेशण के आधार पर यह दिखाई देता है, कि किसी अत्यावष्यक तथा कठिण प्रसंग पर पति को अन्य कोई आर्थिक आधार नहीं है, तो याज्ञवल्क्य ने पतिको यह धनग्रहण करने तथा उस धन को वापस न करने के लिए कहा है। इससे यह प्रतित होता है, कि अगर इस परिस्थिति के अलावा अन्य किसी भी परिस्थिति में, पति ने स्त्रीधन स्वीकार किया, तो उसे वापस करने की जिम्मेदारी पति पर ही डाल दी है।

स्त्रीधनाधिकार के संदर्भ में. कात्यायन कहते है – किसी स्त्रीधन का उपभोग लेने का या किसी भी रीति से दूसरों को देने का अधिकार उसके पति, पुत्र, पिता, भ्राता आदि को नहीं होता। अविवाहित हिंदू स्त्री अपने सभी प्रकार के स्त्रीधन का अपनी इच्छानुसार विनियोग कर सकती है। विधवा होने पर भी वह अपनी इच्छानुसार स्त्रीधन का विनियोग कर सकती है। पति के द्वारा प्राप्त अस्थावर संपत्ति का अपनी इच्छानुसार विनियोग करने का उसे अधिकार नहीं है। पति के जीवित रहने तक विवाहिता को 'सौदायिक' अर्थात पति के अलावा अन्य रिष्तेदारों के द्वारा दी गयी उपहार स्वरूप संपत्ति का विनियोग इच्छा के अनुसार करने का अधिकार नहीं है।

'दि हिंदु सक्सेषन ॲक्ट 1956 सेक्षन 14' के अनुसार स्त्रीधन के संदर्भ में कहा है–

" Property of a female Hindu to be her absolute property.

1. Any property possessed by a female Hindu, whether acquired before or after the commencement of this Act shall be held by her as full owner there of and not as a limited owner.
2. Nothing contained in sub- section (1) shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other intrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of the gift, will or other instrument or the decree order or award prescribe a restricted estate in such property."

Stridhan has all the characteristics of absolute ownership of property. The stridhan being her absolute property, the female has full rights of its alienation. This means that she can sell, gift, mortgage, lease, and exchange her property. This is entirely true when she is maiden or widow. Some restrictions were recognised on her power of alienation, if she were a married women. For a married women stirdhan under two heads:

- the *saudayika* (gifts of love and affection)- gifts received by a women from relations of both sides (parents and husband)
- the *non- saudayika*- all other types of stridhan such as gifts from strangers, property acquired by self-exertion or mechanical art.

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

Over the former she has full rights of disposal but over the later she has no rights of alienation without the consent of her husband. The husband also has the power to use it.

'धर्मषास्त्र चा इतिहास' इस ग्रंथ में डॉ. म. म. काणेजी कहते है ''स्मृतिग्रंथों के यह नियम आज की तारीख में सभी परंपराओ में अधिकृत माने जाते है। आधुनिक युग में न्यायालय निर्णय में सौदायिक धन और सौदायिक धन के अलावा धन, इन दोनों में भेद कायम रखा गया है। लेकिन सौदायिक धनमें रिष्तेदारों के द्वारा दिया गया है और पतिद्वारा दिया गया इस प्रकार का भेद नहीं किया गया है। यदि किसी स्त्री का धन सौदायिक प्रकार का है, तो उसको उस स्त्रीधन का विनियोग बेचकर, दान देकर, या 'व्यवस्थापत्र' से, या अपनी इच्छानुसार और पति की इजाजत के बिना करने का अधिकार है"।

अधिविन्ना स्त्रीधन :

एक पत्नी (पहली पत्नी) के जीवित रहते हुए, दूसरी स्त्री के साथ विवाह किया जाए, तो वह दूसरी पत्नी अधिविन्ना कहलाती है। इस स्त्री के अधिकार के बारे में याज्ञवल्क्य कहते हैं––

'अधिविन्नस्त्रियै दद्यादाधिवेद्निकं समम्।

न दत्तं स्त्रीधनं यस्यै दत्ते त्व र्ध्दं प्रकीर्तितम्।।'

इसके संदर्भ मे मिताक्षरा में कहा गया है, कि 'अधिविन्न'याने पहली विवाहित पत्नी को अधिवेदन के कारण समान धन देना चाहिए। यदि ध्वषुर या पति इन्होंने स्त्रीधन नहीं दिया हो तो उतनाही धन देना चाहिए। इससे पहले कुछ स्त्रीधन दिया हो, तो अधिवेदन के कारण जितना व्यय हुआ होगा उसका आधा हिस्सा देना चाहिए। लेकिन यहॉ का अर्ध षब्द केवल 'आधा' इस अर्थमें नहीं है । इसिलिए पहले दिया हुआ स्त्रीधन और अधिवेदन के कारण हुआ व्यय, इसमें जितना फर्क होगा उतनाही देना चाहिए । ''

'अधिविन्ना' स्त्रीधन के संदर्भ याज्ञवल्क्य ने मिताक्षरामें उचित रूप से चिंतन किया है। उस स्त्री के चरितार्थ आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में विचार व्यक्त किए है। इस ग्रंथ के विवाहप्रकरण में किसी विषेश कारण के बिना अधिवेदन किया गया तो उस स्त्री के अन्न, वस्त्र आदि का भार पति के उपर रहेगा । इसका मतलब यह है, कि दूसरे विवाह के उपरान्त भी पती अपनी जिम्मेदारियॉ अस्वीकार नहीं कर सकता ।

आज 'द्वि–विवाह प्रतिबंधक कानून' के अनुसार अधिनियम 494 के अनुसार द्वि–विवाह करना कानूनन अपराध है। इस अपराध के लिए सात वर्श की सजा और दंड की व्यवस्था न्यायालय ने की है । इस स्थिति में अधिवेदन संभव नहीं है । फिर भी यदि पहली पत्नी जीवित रहते हुए, दूसरी पत्नी से यह बात छिपाई गयी तो दूसरी पत्नी उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कर सकती है । इस प्रकार की कानूनन व्यवस्था आज है ।

स्त्री को संपत्ती का अधिकार है, या नहीं इस प्रकार के मत–मतांतर वाले धर्मषास्त्र है। जैमिनी जैसे बडे–बडे षास्त्रकारोंने 'स्त्रीधन' संकल्पना का स्वीकार किया। याज्ञवल्क्य भी इस विचारों से सहमत है।

'दि हिंदू सक्सेषन ॲक्ट 1956' इस कानून में केंद्रीय सरकार ने आज बदलाव किया है। महिलाओं के हित की दृश्टि से 'हिंदू वारसा सुधार कानून–2005' यह महत्वपूर्ण है।

निश्कर्श :

'याज्ञवल्क्यस्मृति' ग्रंथ को आधार बनाकर विज्ञानेष्वर ने 'मिताक्षरा' टीका लिखी, जिसमें स्त्रीधन, स्त्री के आर्थिक अधिकार आदि विशयों पर सूक्ष्मता से चिंतन–मनन किया गया है। कुछ मर्यादाओं का

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

विचार करने पर भी 'स्त्री अधिकार विशयक' किया गया विचार मंथन अमूल्य है। स्त्री समाज का महत्वपूर्ण घटक है, जिसकी आर्थिक सुरक्षा का विस्तार के साथ विचार –विमर्ष प्राचीन काल के कानूनों ने किया है।

स्त्री विशयक कानूनों में आज सकारात्मक बदलाव हो रहे है। स्त्री के अधिकारों को लेकर संस्कृत साहित्य में किया गया यह विचार निष्चित तौर पर प्रषंसनीय तथा उल्लेखनीय है, जो समाज में जागृती ला सकता है।

संदर्भ ग्रंथ :

- डॉ. केषव किषोर कष्यप, 'याज्ञवल्क्यस्मृतिः' प्रकाषक : चौखम्बा कृश्णदास अकादमी, वाराणसी, 2011
- वे.षा.सं.रा.रा. विश्णूषास्त्री बापट 'श्रीयाज्ञवल्क्यस्मृतिः' मिताक्षरासारासह, 1929
- डॉ.म.म.काणे, 'धर्मषास्त्राचा इतिहास' सारांषरूप ग्रंथ, पूर्वार्ध, महाराश्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ,1967 प्रथमावृत्ती
- ॲड.राम षेलकर : 'हिंदू कायदे ', प्र.अषोक ग्रोवर, 2006
- चढ्ढा प्रेमनाथ, 'हिंदू लॉ, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनौ